अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

158/2022/अपील माननीय ...

तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी 2022/158

श्री मती ... श्री

पॉचू वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह (158/2022)

12.7.22 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.06.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वर्तमान अपीलांट वर्ष 1975 से विवादित भूमि के कब्जे में खातेदार दर्ज है। दिनांक 31.12.1975 को उनके पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलकर्ता जाति से एस.सी. है और प्रतिवादी भी जाति से एस.सी. का ही है और पहले उन्होने विवादित भूमि घीसा सिंह को पंजीकृत विक्री विलेख दिनांक 29.05.1967 और घीसा सिंह ने विवादित भूमि अपीलकर्ता को दिनांक 31.12.1979 को बेचान कर दी, इसलिए प्रतिवादियो को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विक्री विलेख दिनांक 04.02.2022 को निष्पादित करने का कोई अधिकार नही था क्योकि पिछला विक्री विलेख दिनांक 29.05.1967 को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा किसी भी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट ने सन् 1975 से आज तक विवादित भूमि का पोषण किया और रेसपोडेन्ट संख्या 2 से 04 राजस्व रिकार्ड में उनकी प्रविष्टि का लाभ उठाकर विवादित भूमि को स्थानान्तरित कर रहे है और अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, इसलिए वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी को किसी प्रकार से रहन,बय व मुन्तकिल नही करने व विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् अन्तरिम स्थगन आदेश दिये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2022 को अपीलांट का अन्तरिम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2022 की क्रियान्विति ता:फैसला अपील स्थगित की जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अपील मीमो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेसपोडेन्ट संख्या 2 से 04 ने दो पंजीकृत विलेख किए है एक तो अपीलांट को तथा दूसरा रेसपोडेन्ट संख्या 01 के में किया है, जो कानून के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार विधि सम्मत नही है हालांकि बेचानामें विधि सम्मत है या नहीं यह तो वाद में बाद साक्ष्य व सुनवाई के ही होगा । उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

158/2022/1225 पान्नु वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	2022/158 श्री ... श्री समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 01.06.2022 में अंकित विवादित आराजी (खसरा नम्बर 558, 563 वाकै ग्राम गणेशपुरा तहसील ब्यावर) की उभय पक्षकारान राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	